



DIGITAL
LIFE

क्रमांक / जिडिफाप्रालि / ओएफसी / प्रस्ताव / कोरिया / 2025

रायपुर, दिनांक : 14/05/2025

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल कोरिया,
जिला-कोरिया (छत्तीसगढ़).

विषय : कोरिया जिले के कोरिया वनमण्डल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Laying of OFC along with ROW (Road Corridor) under Network Strengthening and providing connecting to Rural Areas in Korea District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 3.309 हेक्टेयर के संबंध में ।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/146529/2021

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 3860 दिनांक 31.07.2024 ।

महोदय,

संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है कि विषयांकित प्रकरण वर्ष 2021 में पंजीकृत है तथा तत्समय वन (संरक्षण) नियम 2003 यथा संशोधित 2009 अन्तर्गत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था एवं उक्त प्रकरण में EDS एवं EDS प्रत्युत्तर के पत्राचार में प्रकरण आज पर्यन्त तक विचाराधीन है ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र में आपके द्वारा प्रकरण में "वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु गैर वनभूमि का चयन कर डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण परियोजना तैयार कर" प्रस्तुत किए जाने हेतु लेख किया गया है ।

उक्त संबंध में अवगत हो कि उपरोक्त बाध्यता वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 अन्तर्गत परिवेश पोर्टल 2.0 में प्रक्रियाधीन प्रकरणों में लागू है ।

विषयांकित प्रकरण के संबंध में संस्थान द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन "परिवेश पोर्टल" के Complaint Management System में Complaint ID : TIC-25029198 के माध्यम से Ticket raised कर मार्गदर्शन चाहा गया, जिस पर दिनांक 14.05.2025 को Complaint Management System द्वारा Ticket resolve कर डी-लीस्टेड प्रकरण को रि-लीस्ट करते हुए निर्देशित किया गया है कि "प्रकरण परिवेश पोर्टल 1.0 के माध्यम से ही व्यपवर्तन की कार्यवाही अग्रेषित होगी (अवलोकन हेतु छायाप्रति संलग्न है) । इसी अनुक्रम में विदित हो कि परिवेश 1.0 के प्रक्रियाधीन प्रकरणों में सड़क समानांतर (आर.ओ.डब्ल्यू.) सीमा में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक FC-11/155/2019-FC दिनांक 27 जुलाई 2020 के माध्यम से वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रक्रिया में छूट प्रदान की गई है । अवलोकन हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

4th Floor, Office Block, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014

Office Phone No. : 0771-3557701

Jio Digital Fibre Private Limited, CIN : U72900GJ2007PLC105869

Registered Office : Office – 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad – 380 006, Gujarat, India,
Phone No.: 079-3560 0100, www.jio.com

अतः उपरोक्तानुसार लम्बित प्रकरण परिवेश पोर्टल 1.0 में कार्यवाही अग्रेषित करने का कष्ट करें।



(अमज कुमार सिंह)

असि.वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार छायाप्रति ।

प्रतिलिपि :-

1. ✓ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.), अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

COMPLAINT DETAILS

Complaint ID and Proposal #	Complaint Details	Complaint Issuer Details	Feedback	Uploaded Screenshot
PARIVESH: Complaint Management System				
TIC-25029198 Proposal No: FP/CG/OFC/146529/2021 Date: 03-05-2025 05:29 PM	Others Clearance Type: Forest Clearances	7415478692 amanksingh@rediffmail. com State & User Type: CHHATTISGARH PP/User Agency	Parivesh 1.0 and as per portal, proposal pending at DFO. As per Guidelines No. FC-11/118/2021-FC dated: 25th Jan 2024 this proposal has to be migrated Parivesh 2.0, but till date it is not migrated in Parivesh 2.0. Request you to kindly check and resolve the issue as soon as possible.	

Complaint Resolution Details

Complaint Details	Resolved Date	Resolved Remarks	Uploaded Screenshot(Resolve)	Issue Sub Category
Complaint ID: TIC-25029198 Date: 03-05-2025 05:29 PM	14-05-2025 01:00 PM	The concerned proposal has not been granted In-Principle Approval. There is no reference of such proposals to be migrated to PARIVESH 2.0. As per current scenario, proposal applied in PARIVESH 1.0 will continue to be processed in PARIVESH 1.0. It was	N/A	Others

Complaint Details	Resolved Date	Resolved Remarks	Uploaded Screenshot(Resolve)	Issue Sub Category
		Delisted due to Non-Reply of EDS for more than 90 days by the UA, now it has been Relisted.		

Query Details

S.No.	Complaint ID	Raise Query Date	Query Details	Reply Query Date	Reply Details	Uploaded Screenshot (Reply)	Status

PARIVESH portal is Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY) |

Government of India

© Content Owned by Ministry of Environment, Forest and Climate Change | Government of India

Release Date: 21-11-2023

Updated Date: 07-05-2025

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./3860

बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/07/2024

प्रति,

अमन कुमार सिंह
असिस्टेंट वॉइज प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Digital fiber private Ltd Raipur Laying Optical Fiber line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State area 3.309 ha.

- सन्दर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/2637 नवा रायपुर, दिनांक 20.06.2024
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-908ए/10 दिनांक 03.01.2023
 3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक भू-प्रबंध/विविध-ए/115-933/633 नवा रायपुर दिनांक 01.03.2024

—छ0-छ0*छ0-छ0—

विषयान्तर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ0ग0, नवा रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 1 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के परिपालन में पूर्व में गुरुदासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 10 कि.मी. की परीधि में आरक्षित वन 0.468 हे. एवं संरक्षित वन 0.727 हे. कुल 1.195 हे. क्षेत्र के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया था।

उक्त के परिपेक्ष्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि, इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य, वन्य जीव बोर्ड के गठन न होने के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय के समन्वय से छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 1820 दिनांक 22.05.2024 से अनुमोदित किया गया है। विषयांकित प्रकरण के परिपेक्ष्य अनुमति प्राप्त करने हेतु छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड से निर्धारित प्रपत्र 1 से 3 में जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देशन के परिपालन में आपके विभाग से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र उक्त प्रपत्र में पूर्ण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर के संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा यह निर्देश दिया है कि, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 19.12.2023 द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार ऑप्टिकल फायबर केबल बिछान के 1.000 हे0 से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण का कार्य गैर वन भूमि किया जाना है।

अतः इस गाईड लाईन के परिपालन में गैर वन भूमि एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि 10 वर्षीय सिंचित परियोजना तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क./3860
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल-बैकुण्ठपुर
बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/07/2024

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल-बैकुण्ठपुर

Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
5th Floor, Agni Wing
New Delhi-110003
Dated: 27th July, 2020

To,
The Principal Secretary (Forests)
All States/UTs

Sub: Clarification regarding guidelines for diversion of forest land for non-forest purpose as per the general approval , under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, for laying of underground CNG/PNG and Slurry pipelines-reg.

Sir,

I am directed to refer to the representation received from the Government of Punjab through Regional Office Chandigarh vide letter no. 1-2Misc/2019-ROC dated 08.01.2020 on the above mentioned subject and to inform that the matter was considered by the Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting held on 23.04.2020.

2. FAC observed that as per existing guidelines dated 28.03.2019, condition mentioned in Para 4.1 (f) is also applicable on the proposals mentioned in Para 4.2. It further observed that laying of underground CNG/PNG and Slurry pipelines in RoW of the existing road is an activity being taken up in forest area which is already under non forest use.

3. After thorough deliberation on the issue, FAC recommended that CA may not be levied in case of laying of underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines within the RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries without felling of trees.

4. In view of the above, Para 4.2 of the Comprehensive Guidelines issued on 28.03.2019 may be read as:

Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines. General approval is accorded for taking up these projects within RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries' without felling of trees. Approval, in addition to general conditions mentioned above under para 4.1 (*except condition "f"*), subject to the following specific conditions:

- a. *No tree felling is involved for the proposed work*
- b. *After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably.*
- c. *UA agrees to make good of any loss to Forest/Environment.*

- d. *The UA will seek permission from the local FD for carrying out any maintenance.*
- e. *In case, the proposed area falls in the RoW of the road passing through National Parks and Wildlife Sanctuaries, General Approval is subject to prior permissions from the State Board for Wildlife..*
- f. *In case of project involve tree felling, ten trees for each tree marked for removal shall be planted at the cost of user agency in consultation with the local forest department.*

This issues with the approval of the competent authority.

Your faithfully,

(Sandeep Sharma)
Asst. inspector General of Forests

Copy to:

1. The PCCF (HoFF), Department of Forest, All States/UTs.
2. The DDGFs(Central), MoEF&CC, All Regional Offices.
3. The Nodal officer (FCA), Department of Forest, All states/UTs.
4. Monitoring cell of FC Division with request to upload on PARIVESH portal

Validity unknown

Digitally signed by SANDEEP
SHARMA
Date: 2020.07.28 17:18:20 IST

